

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, सिवान

सत्र वाद सं० 263/2009

निबंधन सं० 3633/2013

राज्य बनाम बबन चौधरी एवं अन्य

13.01.2026 सभी तीन अभियुक्तगण बबन चौधरी, नन्हकी उर्फ धनंजय चौधरी एवं मंजय साह अनुपस्थित हैं। अभिलेख का अवलोकन किया। उक्त वाद काफी पुराना है। उक्त अभियुक्तगण के अनुपस्थित रहने पर इनकी उपस्थिति हेतु सभी आदेशिकाएँ निर्गत की जा चुकी हैं। उक्त वाद काफी पुराना है। उपरोक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध 82 एवं 83 दं०प्र०सं० की आदेशिकाएँ निर्गत की गयी हैं। निकट भविष्य में भी उक्त अभियुक्तगण का न्यायालय में उपस्थित होने की कोई सम्भावना नहीं है।

अतः अभियुक्तगण को **फरार** घोषित किया जाता है। कार्यालय अभियुक्तगण बबन चौधरी, नन्हकी उर्फ धनंजय चौधरी एवं मंजय साह के विरुद्ध स्थाई अधिपत्रनिर्गत करें। कार्यालय फरार पंजी में अंकित करने के पश्चात् अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित

ह०/-

तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश
सिवान